न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोशण अपील संख्याः GCMS No.-2024/644

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1—अब्दुल वहीद गौरी पुत्र इब्राहीम गौरी जाति तेली मुसलमान, उम्र—70 वर्ष निवासी मकान नम्बर 313, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, जोधपुर		1—मोहम्मद शाहीद गौरी पुत्र अब्दुल वहीद गौरी जाति तेली मुसलमान, उम्र—46 वर्ष निवासी मकान नम्बर 313, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.10.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 14/2023 अब्दुल वहीद गौरी बनाम मोहम्मद शाहीद गौरी में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थीगण उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थी/प्रत्यर्थी से अपने मकान व दुकान से कब्जा प्राप्त करने एवं भरण पोषण प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2024 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को अपीलार्थी/प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाये रखे, मारपीट एवं गाली गलौच नही करने और बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर एवं दवा की उचित व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/644) कर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी का नोटिस तामिल दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुआ तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 18.02.2025 को उपस्थित अपीलार्थी/प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी उसका पुत्र है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोशण अधिनियम 2007 के तहत अपीलार्थी/प्रार्थी को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से मकान व दुकान का कब्जा दिलाने एवं भरण पोषण दिलाने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में कहा गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपने जीवनकाल मे ही अपने बच्चो का भरण–पोषण, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह एवं उनको सेटल तक अपने स्तर तक किया गया था एवं फिर भी प्रत्यर्थी/अप्रार्थी ने अपने पिता की पूरी जवानी ले ली, उनकी स्वअर्जित आय को भी खर्च कर दिया एवं वेल सेटल हो चुका है, प्रत्यर्थी/अप्रार्थी का यह दायित्व है कि वह अपने पिता/अपीलार्थी की सेवा–चाकरी करे, उनका भरण–पोषण करे लेकिन यह कतई नही किया, इसलिए अपीलार्थी पूर्ण रूप से हताश व निराश हो चुका है, इसलिए अपीलार्थी अब बेहतर भविष्य के लिये उसने जो दुकान प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को दी थी, वह स्वयं अपने कब्जे में लेकर उसके स्वयं का छोटा–मोटा धंधा खोलकर अपनी आजीविका करेगा एवं प्रत्यर्थी/अप्रार्थी व उसकी धर्मपत्नि श्रीमती रईसा ने भी घर का महौल खराब कर रख है, इन दोनो ने अपने बच्चो मे सगा सौतेला होने का जहर भर रखा है इस कारण अपीलार्थी के परिवार, रिश्तेदार एवं समाज में जहर भर दिया है। अपीलार्थी के पहली पत्नि श्रीमती अम्तुरहिम के इन्तकाल के पश्चात् दूसरा निकाह श्रीमती रईसा से किया था एवं इस बात से प्रत्यर्थी/अप्रार्थी नाखुश एवं नाराज है, क्योंकि उनके हिसाब से अपीलार्थी की जायदाद में अलग–अलग हस्से होने से उनकी मन की मुराद पुरी नही हो सकी, इसी बात की रजिंश को लेकर आये दिन लडाई–झगडा, छोटी–छोटी बातो पर तानाकशी की जाती रही है, बात इस हद तक बढ़ गई कि श्रीमती अन्जुम ने अपने रिश्तो को दर–किनार करते हुये बहु व भाभी के रिश्ते को लल्जित करते हुये अपने ससूर व देवर पर झूठे आरोप लगाकर समाज परिवार में शर्मिन्दा किया एवं श्रीमती अन्जुम एवं प्रत्यर्थी/अप्रार्थी ने अपनी कुमंशा व बदनियती के चलते पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर मे झूठी रिपोर्ट देते हुये अपीलार्थी की इज्जत व प्रतिष्ठा को तार–तार करने की कोशिश की लेकिन जॉच अधिकारी ने मामले की सत्यता को भॉपते हुये प्रत्यर्थी/अप्रार्थी व उसकी पत्नि को झूठा पाया। इस कारण अपीलार्थी के पुत्रो मे दुश्मनी पैदा हो चुकी है एवं अपीलार्थी अपने सभी पुत्रो मे समान प्यार करता है और अपीलार्थी यह नहीं चाहता कि उम्र के इस पड़ाव में किसी प्रकार से कोई खून खराबा हो और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

लिये और मामले को शांत करते हुये एवं अपने पौत्रो के बचपन को एक बेहतर भविष्य देने के लिये प्रत्यर्थी/अप्रार्थी व उसके परिवार को मकान व दुकान से बेदखल करना चाहता है। क्योंकि वर्तमान में अपीलार्थी के पास आय का स्त्रोत नही है और न ही कोई धन राशि इकट्ठा हो रखी है, इसलिए अपीलार्थी की यही कामना है कि वह अपने उक्त निवास स्थान को बेचान कर सके क्योंकि जब तक प्रत्यर्थी/अप्रार्थी व उसका परिवार दुकान से बेदखल नही होगे तब तक घर के राज बाहर होने बंद नही होगे एवं मकान की मार्केट वैल्यू भी उचित दर से मिलेगी। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी ने अपने पुत्र का दायित्व कभी नही निभाया। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी बदमाश प्रवृत्ति का इन्सान है एवं अपनी पत्नि को एक ढाल बनाकर बार-बार अपीलार्थी को तंग व परेशान कर रहे है। जिस बाबत् अपीलार्थी ने अपनी जान-माल व इज्जत आबरू बचाने के लिये पुलिस कमिश्नरेट, न्यायालय, जोधपुर में एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 107, सीआरपीसी सपठित धारा 116, 118 पुलिस थाना प्रतापनगर, जोधपुर मे दिनांक 24/02/2023 को पेश किया। जिसमे प्रत्यर्थी/अप्रार्थी व उसकी पत्नि को पाबंद किया गया। अपीलार्थी की हुसैनिया मस्जिद, सोजती गेट जोधपुर मे दुकान नम्बर 9 से प्रत्यर्थी/अप्रार्थी जो कि मासिक आय के रूप में 1,00,000/- रूपये कमा रहा। अपीलार्थी/प्रार्थी ने लिखित बहस में भी यह बतलाया कि मो. शाहीद गौरी जो तथ्य प्रस्तुत की वह मान्य नहीं है। यह है कि मो. शाहीद गौरी द्वारा सोजती गेट जोधपुर मस्जिद दुकान 9 मेरे द्वारा एक पिता के फर्ज व्यापार करने को दी थी। मो.शाहीद गौरी द्वारा अपने ससुर मो. इकबाल गौरी घी वाला द्वारा 10 लाख-10 लाख रूपयें मुझे रोकड देना का लिखा है। ववफ बोर्ड की जमीन व दुकान की क्रय-विक्रय नहीं होती है। प्रार्थी मो. शाहीद गौरी को सोजती गेट जोधपुर मस्जिद को अपने पौत्र फैजान गौरी पुत्र श्री मो. शाहीद गौरी को लिखन में नामकरण 10 वर्ष पूर्व कर दी थी, नामकरण दुकान के पश्चात् मो. शाहीद गौरी प्रतिमाह 10 हजार देना तय हुआ था। मगर आज 10 साल हो गये है एक रूपयों खर्चा नहीं दिया है अपीलार्थी द्वारा बकाया 12 लाख रूपया व प्रतिमाह खर्चा भी दिलवाने को भी कहा गया। मो. शाहीद गौरी द्वारा लिखकर देना के डिप्रेशन मरीज हूँ। इसका मुल कारण रूपया व मकान का हिस्सा है, लडाई-झगड़ा करना झूठा करना है। 48 साल हो गये साथ रहते हुए। बहस के अंत में अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र मो. शाहीद गौरी से निजात दिलाने, भरण पोषण नहीं लेने, सिर्फ मकान-दुकान खाली कराने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस/जवाब प्रार्थना पत्र में बतलाया गया अपीलार्थी की दूसरे निकाह के समय केवल 05 वर्ष का मासूम बच्चा था उसे इस तरह रीति-रिवाज को कोई ज्ञान था ही नही तो छोटा 05 वर्ष का बच्चा उसे क्या पता के उसके पिता ने दूसरा निकाह किया है तो प्रत्यर्थी/अप्रार्थी का अपीलार्थी के दूसरे निकाह से कोई आपत्ति या [illegible] ने होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी आज दिनांक तक [illegible] जरूरत पडे अपीलार्थी की सेवा चाकरी करता है, रेस्पोडेन्ट ने किसी भी कार्य के लिये

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थी को मना नही किया अपीलार्थी अपनी पत्नी व बच्चे के बहकावे में आकर मुझ प्रत्यर्थी को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर रहे है, प्रत्यर्थी/अप्रार्थी स्वयं अब इतना परेशान रहने लग गया है कि डिप्रेशन में चला गया है व डिप्रेशन की दवाईयां ले रहा है व अपीलार्थी कई वर्षो से रेस्पोडेन्ट को मानसिक रूप से तंग व परेशान कर रहा है, जिस वजह से प्रत्यर्थी कोई काम नही कर पा रहा है। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी ने कभी भी अपने पिता व अपीलार्थी को परेशान नही किया अपीलार्थी के पास एक फेक्ट्री, एक दुकान और अन्य प्रोपर्टी भी है लेकिन अपीलार्थी ने वो प्रोपर्टी अपने सौतेले बेटे व दूसरी पत्नी के नाम कर रखी है और इस प्रोपर्टी में भी तल मंजिल पर स्वंय अपनी दूसरी पत्नी व सौतेले बेटे के साथ रहता है व एक हिस्से बकरों बाडा है, जहां पर अपीलार्थी अपने बकरों का व्यापार करता है, लेकिन इसी मकान के प्रथम तल पर अपने परिवार सहित शान्तिपूर्वक निवास करता है, लेकिन फिर भी अपीलार्थी द्वारा आए दिन प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को तंग व परेशान करके घर से बेदखल करना चाहता है। अपीलार्थी स्वयं व्यापार करता है व अपीलार्थी ने अपनी एक फेक्ट्री तनावडा फांटा, जोधपुर में स्थित किराये पर दे रखी है, जिसका किराया 35,000/– रूपये प्रतिमाह और अपीलार्थी की एक दुकान रसीयन मैन्स् वियर, हॉटल मरूधर के पीछे, नई सड़क पर स्थित है जहां से लगभग 1,00,000/– रूपये प्रतिमाह कमा लेता है और अपीलार्थी बकरों का व्यवसाय भी करता है, जहां से भी अच्छी–खासी इन्कम हो जाती है। अपीलार्थी स्वंय आयकरदाता है व आईटीआर फाईल करता है। अपीलार्थी द्वारा एक झूठा इस्तगासा प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के खिलाफ कमिशनर ऑफिस में पेश किया गया था और बिना किसी जांच के अपीलार्थी को पाबन्द किया गया था। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी ने कोविड से पूर्व अपीलार्थी को दैनिक खर्च के रूप में रोकड नकद के रूप में रूपये देता था लेकिन कोविड के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से दैनिक खर्च देने में असक्षम हो गया है। जिस दुकान की बात अपीलार्थी कर रहा है वह दुकान प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के पुत्र के नाना ने खरीदकर दी थी और इस दुकान पर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी का कोई अधिकार ही है, उक्त दुकान का किराया भी प्रत्यर्थी/अप्रार्थी का पुत्र फेजान गौरी ही देता है। बहस के अंत में प्रत्यर्थी/अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ अधिकरण का आदेश अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी से मकान व दुकान का कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1) में "धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन निम्न द्वारा किया जा सकता है– (क) वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक यथास्थिति द्वारा: या (ख) यदि वह असमर्थ हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन या अधिकरण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान हो सकता है" का प्रावधान है। माता पिता एवं

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिश्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश हस्तक्षेप योग्य नही है अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)